<u>केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली</u>

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

<u>विषयवस्तु योगदान, नियंत्रण और अनुमोदन नीति (सी.एम.ए.पी.)</u>

विषयवस्तु योगदान संबन्धित अनुभाग द्वारा देना आवश्यक है, नियंत्रण अध्यक्ष/केंद्रक अधिकारी (वैबसाइट कमेटी) और अनुमोदन निदेशक, के॰अ॰सं॰ द्वारा किया जाएगा । देखने वाले की अपेक्षतानुसार विषयवस्तु को प्रस्तुत करने की दृष्टि से इसे वर्गीकृत ढंग से सुव्यवस्थित करें और संबन्धित विषयवस्तु को सक्षमता से पुनर्प्राप्त करने के लिए, वैबसाइट में भेजी जाने वाली विषयवस्तु वेब आधारित यूजर फ्रेंडली अंतरापृष्ट युक्त विषयवस्तु प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से भेजी जानी आपेक्षित है ।

पोर्टल पर विषयवस्तु निम्ननिर्दिष्टित सम्पूर्ण जीवन चक्र प्रणाली के माध्यम से जाती है:

- सृजन → संबन्धित विभाग द्वारा
- परिवर्धन → संबन्धित विभाग द्वारा
- अनुमोदन → निदेशक द्वारा
- नियंत्रण
- मुद्रण
- निष्प्रभावन
- पुरालेख

} → वैबसाइट समिति द्वारा

(सूचना अपलोड के लिए निर्धारित प्रोफार्मा संख्या: सी.आर.आई./वेब/001 में) एक बार विषयवस्तु का योगदान होने के बाद इसे वेबसाइट पर प्रकाशित होने से पहले अनुमोदित एवं नियंत्रित किया जाना चाहिए । विषयवस्तु की किसी भी आपतिजनक और पक्षपाती भाषा के लिए विशेष रूप से जांच की जानी चाहिए । यदि विषयवस्तु किसी भी स्तर पर खारिज कर दी जाती है तो इसे संशोधित करने के लिए सम्बंधित विभाग में वापिस कर दिया जाता है ।

धन्यवाद,

वेबसाइट समिति,

के॰अ॰सं॰ कसौली